वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । पवन फार्म प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए निर्माण, कमीशनिंग और स्पेयर सहित पवन विद्युत जनित्रों की सम्पूर्ण लागत का 60 प्रतिशत अनुदान सहायता राज्य नोडल एजेंसियों अथवा राज्य विद्युत बोर्डों को उपलब्ध कराई जाती है ।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत 112 मेगा वाट कि समग्र क्षमता की लघु जल विद्युत और पवन फार्म परियोजनाओं को पहले ही मदद दी जा रही है । प्रस्तावों का प्राप्त होना और उनका अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उनकी तकनीकी-वार्षिक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए परियोजनाओं को समय-समय पर जानकारी दी जाती रहती है ।

Encashment of half pay leave

2219. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Board of Arbitration has in a recent decision awarded the benefits of cashment of half pay leave to the Central Government employees in superannuation with effect from the 14th June, 1982;

(b) if so, the number of beneficiaries out of the total applications received to get this benefit;

(c) whether there is any particular category which is debarred from the benefits of the award; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS) (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (d) The benefit of encashment of half pay leave has been extended to Central Government employees who retired on superannuation w.e.f. 14th July, 1982 onwards strictly on the basis of Award of Arbitration. No Centralised list of beneficiaries is maintained in this regard.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए अनुमति

2220. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कोई भी जांच करने से पूर्व संबंधित मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों में स्वीकृति ली गई और कितने मामलों में स्वीकृति छह माह पश्चात् दी गई; और

(घ) सरकार इस परिपाटी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । फिर भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विशेष स्तर तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने से पहले अपनाई जाने वाली क्रियाविधि कतिपय अनुदेशों द्वारा शासित होती है जिसमें यह निर्धारित है कि संयुक्त सचिव (या समकक्ष पद) या उससे ऊपर के स्तर के पद के मामले में संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव से पूर्व परामर्श किया जाना चाहिए ।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1988 से 1993 (जून 1993) तक 63 मामलों में मंत्रालय/विभाग से सहमति ली गई थी । 22 मामलों में सहमति 6 महीनों के बाद दी गई ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2221. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यप्रदेश में लोक आयुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के संबंध में न्यायालयों में चालान तैयार करने के लिए सरकार की अनुमति के वास्ते लम्बित पड़े मामलों की संख्या कितनी है और ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों का विभाग-वार और संबंधित अधिकारी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में से कितने मामलों में दिसम्बर 1992 से जून 1993 के दौरान अनुमति प्रदान की गई और शेष मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।